न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 238/2020
निर्णय दिनांकः– 12.02.2021

उनवान

औमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक –प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 26 ख0न0 335 रकबा 0.09 है0 ,खाता संख्या 37 ख0न0 419 रकबा 0.70 है0 ,ख0न0 421 रकबा 0.37 है0 ख0न0 422 रकबा 0.36 है0,ख0सं0 423 रकबा 0.66 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक औमप्रकाश पुत्र रामनारायण है जो कि अन्य जमाबन्दी खाता संख्या 4 कुल किता 8 रकबा 4.01 है0 ग्राम गोविन्दपुरा सम्वत 2073 – 2076 से प्रमाणित है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र की प्रति , राशन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि में अंकित है। जिसमें प्रार्थी का नाम औम प्रकाश पुत्र रामनारायण अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से औमप्रकाश पुत्र रामनारायण के स्थान पर रामप्रकाश पुत्र रामनारायण अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम औमप्रकाश पुत्र रामनारायण है ।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र रामनारायण के स्थान पर सहवन से रामप्रकाश पुत्र रामनारायण दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 26 ख0न0 335 रकबा 0.09 है0 ,खाता संख्या 37 ख0न0 419 रकबा 0.70 है0 ,ख0न0 421 रकबा 0.37 है0 ख0न0 422 रकबा 0.36 है0,ख0सं0 423 रकबा 0.66 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम रामप्रकाश पुत्र रामनारायण के स्थान पर औमप्रकाश पुत्र रामनारायण अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम गोविन्दपुरा के खाता संख्या 4 कुल किता 8 रकबा 4.01 है0 ग्राम गोविन्दपुरा सम्वत 2073 – 2076 में प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति जाट दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से रामप्रकाश पुत्र रामनारायण व औमप्रकाश पुत्र रामनारायण एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 26 ख0न0 335 रकबा 0.09 है0 ,खाता संख्या 37 ख0न0 419 रकबा 0.70 है0 ,ख0न0 421 रकबा 0.37 है0 ख0न0 422 रकबा 0.36 है0, ख0सं0 423 रकबा 0.66 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.09 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील उनियारा में प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन गोविन्दपुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र रामनारायण व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम औमप्रकाश पुत्र रामनारायण दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम गोविन्दपुरा के खाता सं0 26 में प्रार्थी का नाम रामप्रकाश पुत्र रामनारायण के स्थान पर औमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र रामनारायण किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 26 व 37 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज रामप्रकाश पुत्र रामनारायण के स्थान पर औमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र रामनारायण दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
उनियारा, जिला टोंक